

न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

सेशन केस नम्बर 31 / 2015
राज्य—प्रति— पतिराम आदि

दिनांक 31-03-2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी / अभियुक्तगण पतिराम आदि की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनउ द्वारा अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 नम्बर 2308 / 2026, अमृतलाल व 3 अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19 मार्च, 2026 के द्वारा पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर एस0टी0 नम्बर 31 / 2015, केस काईम नम्बर 12 / 2014 थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती की समस्त कार्यवाही QUASH कर दी गयी है। अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आदेश पारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने की याचना की।

सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सादर अवलोकन किया।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19 मार्च, 2026 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर समस्त कार्यवाही QUASH की जा चुकी है। अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में समस्त कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अवनीश गौतम)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।